रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 368] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2014/अग्रहायण 25, 1936

No. 368] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2014/AGRAHAYANA 25, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2014

फा. सं. एम(आई)/टी4एस/सीजीडी/1/2010.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतदद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ**

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2008 में,—

(क) अनुसूची 1ग, पाइपिंग प्रणाली घटक शीर्षक के तहत मद (ड.) में, वाल्व और फ्लैंग्स के अलावा अन्य फिटिंग के तहत प्रारम्भिक शब्द "63 मी.मी. तक की फ्युजन फिटिंग के लिए" तथा "..... क्लैम्पस का इस्तेमाल किया जाएगा" समाप्ति पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"63 मी.मी. तक की फ्यूजन फिटिंग के लिए कंपनी इंटेग्रल फिक्सेशन डिवाइस के साथ की फ्यूजन फिटिंग के इस्तेमाल पर विचार कर सकती है। तथापि बाहरी संरेखन क्लैम्प सभी आकारों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।";

(ख) अनुसूची 1घ स्टील पाइप शीर्षक के पैरा 2 और 3 में दीवार की नाममात्र की मोटाई के लिए अतिरिक्त आवश्यकता के तहत प्रारम्भिक शब्द "इस मानक के....." और समाप्ति शब्द ".....एएलएआरपी (जहां तक संभव हो तर्कसंगत रूप से कम) किया जाना चाहिए।", निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"इस मानक के अनुसार पाइप के आकार की अनुमेय न्युनतम नाममात्र की मोटाई 4 इंच के नाममात्र के व्यास और उससे अधिक, पाइप सामग्री के ग्रेड के निरपेक्ष होनी चाहिए।

सभी मौजूदा मामलों में जहां विद्यमान 4 इंच और अधिक के आकार के पाइप की मोटाई 6.4 मी.मी. से कम हो, मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन कराया जाना चाहिए तथा जोखिम के स्तर को एएलएआरपी तक (जहां तक संभव हो तर्कसंगत रुप से) कम किया जाना होगा।

भूमि के उपर और भूमिगत दोनों पाइप का आकार 4 इंच से कम नाममात्र के व्यास, न्यूनतम नाममात्र की मोटाई नीच दर्शाई गई तालिका के अनुसार होगी:

पाइप दीवार की न्यूनतम मोटाई (रेफ एएसएमइ बी 36.10 एम)		
एएनएआइ रेटिंग 150# तो 300#		
एनपीएस	पहचान	अनुसूची क्र.
0.5	XS	80
0.75	XS	80
1	XS	80
1.5	XS	80
2	XS	80
3	STD	40

(ग) अनुसूची 1जी शीर्षक विविध गंधीकरण के पैरा 2 के प्रारम्भिक शब्द "अधिकतम" और समाप्ति शब्द "..... गंधकारक गैस में मिलाया जा सकता है।", निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"उपयुक्त गंध की एक पूर्व निर्धारित मात्रा गैस धारा में डोज्ड की जाएगी। सीजीडी प्रणाली में प्रयुक्त उक्त मात्रा की डोजिंग ऐसी होनी चाहिए कि वह मानवमात्र के साथ-साथ सामग्री और उपकरणों के लिए सुरक्षित हो।"।

के. राजेश्वर राव, विशेष कार्याधिकारी (आर)

[विज्ञापन -III/4/ असा. /188/14(229)]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सं. सा.का.नि. 612(अ), दिनांक 27 अगस्त, 2008 को अधिसूचित तथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 750(अ), दिनांक 14.10.2009 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December 2014

F. No. M (I)/T4S/CGD/1/2010.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008,-

(A) in Schedule 1C, under heading PIPING SYSTEM COMPONENTS, in point (e), under Fittings other than Valves and Flanges, for the words beginning with "For fusion fitting upto 63 mm,..." and ending with ".....clamp shall be used.", the following shall be substituted, namely:-

"For fusion fitting upto 63 mm, the entity may consider usage of fusion fittings with integral fixation device. However, external alignment clamp shall be used for all sizes.";

(B) in Schedule 1D, under heading STEEL PIPE, in paras 2 and 3 under Additional Requirement for Nominal Wall Thickness, for the words beginning with "In any case minimum" and ending with ".....reduced to ALARP (As low as reasonably possible).", the following shall be substituted, namely:-

"In any case minimum nominal thickness of pipe permitted as per this standard shall be 6.4 mm for pipe size 4 inch nominal dia. and above, irrespective of the grade of the pipe material.

In all existing cases where thickness of pipe is less than 6.4 mm for pipe size 4 inch and above, Quantitative Risk Assessment shall be carried out and the risk level shall be reduced to ALARP (As low as reasonably possible).

For both aboveground and underground pipe size less than 4 inch nominal dia., the minimum nominal thickness shall be as per table below :

Minimum Pipe Wall Thickness (Ref ASME B36.10 M)		
ANSI Rating- 150 # to 300 #		
NPS	**Identification**	**Schedule No.**
0.5	XS	80
0.75	XS	80
1	XS	80
1.5	XS	80
2	XS	80
3	STD	40

(C) in Schedule 1G , under the heading ODOURISATION, in para 2 for the words beginning with "A pre-determined quantity,...." and ending with "....dosed into the gas stream.", the following shall be substituted, namely:-

"A pre-determined quantity of suitable odorant shall be dosed into the gas stream. The dosing should be such that it is safe for human as well as materials and equipments used in CGD system."

K. RAJESWARA RAO, OSD(R)

[ADVT.-III/4/Exty./188.14(229)]

Foot Note : Principal regulations were notified vide No. G.S.R. 612(E), dated 27th August, 2008 subsequently amended *vide* G.S.R. 750(E), dated 14.10.2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.